



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांक: वाणिज्य/2025-26/7548-7802

दिनांक - 16/12/2025

- | | |
|---|---|
| 1. खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
..... (समस्त) | 3. क्षेत्रीय अधिकारी,
राजफेड,
..... (समस्त) |
| 2. उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
जिला(समस्त) | 4. मुख्य व्यवस्थापक,
क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ,
..... |

विषय :- समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन की खरीद खरीफ 2025 संशोधित दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक वाणिज्य/2025-26/6098-6476 दिनांक 20.11.2025 एवं 6609-6929 दिनांक 28.11.2025 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 28.11.2025 के माध्यम से इस कार्यालय द्वारा समर्थन मूल्य खरीद खरीफ, 2025 हेतु दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 5 के 5.1 में कृषि भूमि मालिक एवं बंटाईदार के मध्य बुवाई से पूर्व या बुवाई अवधि के अनुसार बंटाईदार/काश्तकारों की समस्या के निराकरण हेतु पूर्ववत रुपये 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध स्वीकार करने संबंधी संशोधित आदेश जारी किए गए थे।

उक्त के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि संशोधित आदेशानुसार बंटाईदार/काश्तकार के रुपये 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प के अनुबंध को पोर्टल पर खरीद केन्द्र प्रभारी की एसएसओ आईडी के माध्यम से अपलोड किये जाने की सुविधा प्रदान की जाती है, उक्त अनुबंध पोर्टल पर अपलोड किए जाने संबंधी सम्पूर्ण जिम्मेदारी खरीद केन्द्र प्रभारी की होगी।

महाप्रबन्धिक (वाणिज्य)

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रशासक एवं प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि/राजस्व, राजस्थान सरकार, जयपुर।




राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

4. आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निदेशक, कृषि विपणन, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर (समस्त)
7. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा/वाणिज्य/कृषि आदान/मा.स.वि./फैक्ट्री) राजफेड, जयपुर।
8. अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मार्केट), सहकारी समितियाँ, राजस्थान जयपुर।
9. राज्य प्रमुख, नेफेड/एनसीसीएफ, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (व्यापार), आर.एस.डब्ल्यू.सी., जयपुर।
11. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीडब्ल्यूसी, जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजफेड, जयपुर-उक्त आदेश राजफेड वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।
13. प्रबन्धक (भण्डारण), राजफेड, जयपुर।
14. सहायक प्रबन्धक, आईटी शाखा, राजफेड, जयपुर।
15. सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।


महाप्रबन्धक (वाणिज्य)